

Application form for the Reflector Work

Sr. No. –


Amount -500

- 1- Name of Quotationer _____
- 2- Name of Firm _____
- 3- Address of Firm/Agency _____
- 4- PAN NO _____
- 5- GSTINNO _____
- 6- Aadhaar No _____
- 7- Name of the bank in which quotationer has account _____
- 8- Name of the Branch of bank _____
- 9- Account No of the quotationer _____
- 10- IFSC Code of the Branch _____
- 11- Reflector Tape Area:-

Area
District Rewari

Offer/Amount for 1 year
(To be filled by the quotationer)

.....



Secretary
District Red Cross Society
Rewari

Signature of Quotationer
with Seal and Stamp
Mob. No.

DECLARATION

I hereby declare that all the details furnished above are true to the best of my knowledge and belief. I accept all terms and conditions framed by Distt. Red Cross Society, Rewari for the said project. I am bound to follow all the terms and conditions. In case of failure, the contract is liable to be terminated/cancelled and amount deposited by me will be forfeited.

- Note:- 1- All columns should be filled.
2- Writing should be legible.

Signature of the Firm
Mb. No.

नियम व शर्तें:-

- 01-आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फार्म जिला रैडक्रास सोसायटी कार्यालय में मु0. 500/- रुपये की राशि जमा करवाने उपरान्त प्राप्त किया जा सकता है।
- 02-रिफ्लैक्टर टेप लगाने के कार्य की समय अवधि प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए होगी।
- 03-पार्टी रिफ्लैक्टर लगाने समय परिवहन आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ के पत्र संख्या 5476/AT-6/ST-II/ dated 08-04-2011 में निहित नियमों व शर्तों का पालन करेगी।
- 04-रिफ्लैक्टर लगाने की व्यवस्था एवं अन्य कोई भी खर्चा फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
- 05-फर्म द्वारा वाहन पर चिपकाये जाने वाले प्रत्येक रिफ्लैक्टर का specification कुटेशन के साथ रैडक्रास कार्यालय में जमा करवायें।
- 06-फर्म द्वारा औद्योगिक वाहनों पर लगायी जाने वाली दो जोड़ी रिफ्लैक्टर के मु0. 200/- रुपये चार्ज करके रसीद मालिक को देगी तथा दोपहिया वाहनों, ट्रैक्टर, ट्राली एवं कारों पर निःशुल्क रिफ्लैक्टर लगायेगी जिसका प्रमाण फर्म द्वारा रैडक्रास सोसायटी को देना होगा।
- 07-फर्म को कुटेशन के साथ अग्रिम राशि के रूप में मु0. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) नकद/ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाने होंगे। ठेका ना मिलने की सूरत में उक्त अग्रिम राशि रैडक्रास द्वारा 72 घण्टों के अन्दर वापिस कर दी जायेगी।
- 08-ठेका प्राप्त करने वाली फर्म को बोली में एक वर्ष हेतु प्रस्तुत की गई राशि प्रत्येक तीन माह में पाँच तारीख तक नकद/ड्राफ्ट के माध्यम से रैडक्रास में जमा करवानी होगी अन्यथा एक नोटिस के बाद सचिव, रैडक्रास द्वारा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
- 09-वाहनों पर रिफ्लैक्टर लगाने के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 10-ल्युमिनीसेन्ट (Luminescent) रिफ्लैक्टर टेप केवल औद्योगिक वाहनों पर जरूरत अनुसार फर्म द्वारा केवल अधिकृत क्षेत्र में ही लगाने का अधिकारी होगा।
- 11-यदि कोई शिकायत/अनिमित्यता पाई जाती है तो परिस्थिति की मांग के अनुसार उक्त कार्य की अनुमति किसी भी स्तर पर सचिव, रैडक्रास द्वारा रद्द की जा सकती है।
- 12-सफल व्यक्ति को कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी नियमों का पालन करना होगा तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा गार्ड लगाये जायेंगे।
- 13-रैडक्रास, रेवाडी द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना की जायेगी तथा एक अनुबन्ध फर्म एवं सचिव, जिला रैडक्रास सोसायटी के मध्य किया जायेगा।
- 14-फर्म द्वारा उक्त कार्य में लगाये गये कर्मचारियों का विवरण प्रत्येक तीन माह में रैडक्रास सोसायटी में देना होगा। फर्म के सदस्यों/कर्मचारियों पर आपराधिक केस पाने एवं सजा होने की सूरत में आवंटन (Allotment) रद्द कर दिया जायेगा।
- 15-फर्म का कार्य सन्तोषजनक होने पर उपायुक्त महोदय की अनुमति उपरान्त कार्यकाल की समय अवधि बढ़ाने पर विचारविमर्श किया जायेगा अन्यथा एक वर्ष की समय अवधि समाप्त होने पर ठेका स्वतः ही रद्द समझा जायेगा। फर्म द्वारा कार्यकाल समाप्त होने का एक हल्फनामा रैडक्रास सोसायटी में जमा करवाया जायेगा जिस पर विभाग द्वारा सुरक्षा राशि वापिस कर दी जायेगी।

M.A.
23/9/23

- 16-उपायुक्त महोदय की अनुमति उपरान्त बिना किसी नोटिस के किसी भी समय आवंटन को रद्द किये जाने का अधिकार सचिव रैडक्रॉस सोसायटी, रेवाडी को होगा।
- 17-आवेदन कर्ता ई0पी0एफ0, ई0एस0आई में तीन साल का पुराना रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- 18-आवेदन कर्ता के पास मैन पावर का लाईसेंस होना अनिवार्य है।
- 19-आवेदन कर्ता अपनी तीन साल की Financial Statement Chartered Accountant से Certified करवाकर देगा।
- 20-फर्म/एजेंसी द्वारा समय से पूर्व रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य छोड़ती है तो उक्त फर्म/एजेंसी की सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।

M. A.
23/11/23

Secretary
Distt. Red Cross Society,
Rewari